

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 824/2015 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

रुखराम वगैरा बनाम ईसा वगैरा

पीठासीन अधिकारी -श्री भागीरथराम, आर.ए.ए.एम

प्रार्थीगण वकील :- श्री फताराम गोदारा

विप्रार्थीगण वकील :-

**निर्णय**


**दिनांक - 14.07.2017**

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत -2017 कैम्प चौहटन मे पेश हुई। प्रार्थीगण वकील उपस्थित। प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि मेहरानगढ़, पटवार हल्का कोनरा, तहसील चौहटन के खेत खसरा सं. 697 रकबा 250.10 बीघा स्थित है। प्रार्थीगण के खेत पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मेहरानगढ़, पटवार हल्का कोनरा, तहसील चौहटन के खेत खसरा सं. 697 रकबा 250.10 बीघा की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक आलमसर को 500/- रुपये फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रुबरु किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता का यह भी निर्देश दिये जाते है कि न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रुबरु विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना ,मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे । मौका कमीशनर को आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहरीर जारी हो। कमीशनर को कमीशनर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के बाद तामिल के दाखिल दफतर हो ।

आदेश न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट चौहटन मे दिनांक 14.07.2017 को सुनाया गया ।

  
(भागीरथराम)  
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) चौहटन जिला बाड़मेर**

क्रमांक/भू.अ./2017/1906

दिनांक:- 1.8.17

प्रेषित : भू- अभिलेख निरीक्षक  
आलमसर

प्रार्थीगण:-

1.रुखराम पुत्र खरथाराम एवं  
विप्रार्थी सं. 2 से 23  
जाति मेघवाल, निवासी मेहरानगढ़  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण :-

1.ईसा पुत्र काछु एवं  
विप्रार्थी सं. 2 से 5 जाति मुसलमान  
विप्रार्थी सं. 6 से 17 जाति मेघवाल  
निवासी मेहरानगढ़, तहसील चौहटन  
विप्रार्थी सं. 18 से 21 जाति जाट  
निवासी खेराज का तला(नेतराड़)  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 824/2015

दिनांक : 14-07-2017

**आदेश**

उपरोक्त प्रकरण में आपको सरहद मौजा मेहरानगढ़, पटवार हल्का कोनरा, तहसील चौहटन के खेत खसरा सं. 697 रकबा 250.10 बीघा सरहद भूमि की नेखम पेमाईश जरिये पत्थरगढी करने हेतु 500/- कमीश्नर फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनो पक्षो को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में आवश्य पेश करे । मौका कमीश्नर को आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। कमीश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा।



क्रमांक/भू.अ./2017/1907-1911  
प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार चौहटन
- 2 पटवार हल्का कोनरा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकोर्ड उपस्थित होकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
- 3 प्रार्थीगण रुखराम वगैरा
- 4 विप्रार्थीगण ईसा वगैरा
- 5 थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/सेड़वा/धोरीमन्ना/बाखासर

(भागीरथराम) अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

दिनांक:- 1.8.17

(भागीरथराम)  
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन